

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ०सं०-6/एन०-08-11/2022-.....

/पटना-15, दिनांक-.....

बिभागीय आदेश ज्ञापक-1106(6), दिनांक-13.07.2022 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में बुद्ध महावीर ग्रान सोसाईटी, बासुदेव इन्कलेम, मेन रोड, कंकडबाग, पोस्ट-तोडियानगर, पटना-800020 द्वारा प्रस्तावित मी शारदा कॉलेज ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बासुदेव इन्कलेम, मेन रोड, कंकडबाग, पटना-800020 को ए०एन०एम० पाठ्यक्रम की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - बिभागीय आदेश ज्ञापक-1232(6), दिनांक-31.07.2023 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ० रत्ना शरण, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्बद्ध विचारोपरान्त मी शारदा कॉलेज ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बासुदेव इन्कलेम, मेन रोड, कंकडबाग, पटना-800020 को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में ए०एन०एम० पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होले ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना Suitability Report प्राप्त कर लेने।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) अतिरिक्त शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - इसमें गाननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


ह०/-
(डॉ० अनिल कुमार तिवारी)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

JKK31

आपांक : 6/एन0-08-11/2022.1612(6)

पटना दिनांक 19/10/2023

- प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0वी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0-2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज-01, नई दिल्ली-110020/निबंधक, विहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/अतीनिक शल्य चिकित्साक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, विहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, वी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, विहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, माँ शारदा कॉलेज ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, वासुदेव इन्कलेभ, मेन रोड, कंकडवाग, पटना-800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/10/2023
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, विहार, पटना।